

**न्यायालय—श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक—1342 / 2004  
 संस्थित दिनांक—26.10.2002  
 फाइलिंग क.234503000212002

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट,  
 कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

परिवादी

// **विरुद्ध** //

1—चेतनसिंह वल्द फिरंगी, उम्र—46 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम हीरापुर, थाना गढ़ी,  
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—अमरसिंह उर्फ किन्टा वल्द सुखीराम, उम्र—56 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम कदला, थाना गढ़ी,  
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—चैतराम पिता बुद्ध, उम्र—51 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम कदला, थाना गढ़ी,  
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

4—दशरथ पिता भगेलसिंह, उम्र—51 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम हीरापुर, थाना गढ़ी,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक—10 / 11 / 2016 को घोषित)**

1— आरोपीगण के विरुद्ध धारा—9, 17, 29, 31/51 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1991 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—17.09.2002 को वन परिक्षेत्र भैंसानघाट, कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला में बिना अनुज्ञा के प्रवेश करके महुआ के लाहन में जहर डालकर वन्य प्राणी सुअर का अवैध शिकार किया तथा उसके मांस को खाने के उद्देश्य से आपस में बांट लिया।

2— परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—17.09.2002 को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला के वन कर्मचारी ग्राम हीरापुर चेतनसिंह के घर गए, जहां चेतनसिंह ने बताया कि दिनांक—15.09.2002 को ग्राम कदला का चैतराम उसके पास आया था और बोला कि उसके पास जहर है, तब वह जंगली जानवर का शिकार करने के लिए सहमत हो गया था। उसी दिनांक को आरोपी चैतराम महुआ के लाहन में जहर मिलाकर लाया और पार्क लाईन के किनारे फैंला दिया, दूसरे दिन जाकर

देखने पर वहां जंगली सुअर मरा पड़ा था, जिसे आरोपी चेतनसिंह, अमरसिंह, दशरथ सभी ने मिलकर काटा और मांस खा लिया। आरोपी चेतनसिंह ने बताया था कि उसके पास मांस रखा है। आरोपी के बताए अनुसार उसके घर से सुअर का मांस जप्त किया गया। आरोपी के अपराध स्वीकारोक्ति के कथन लेख किये गए। उपरोक्त आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर.क्रमांक-26/05, धारा-9, 17, 29, 39 सहपठित धारा-51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1991 के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपीगण के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को धारा-9, 17, 29, 31/51 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1991 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-17.09.2002 को वन परिक्षेत्र भैंसानघाट, कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला में बिना अनुज्ञा के प्रवेश करके महुआ के लाहन में जहर डालकर वन्य प्राणी सुअर का अवैध शिकार किया तथा उसके मांस को खाने के उद्देश्य से आपस में बांट लिया ?

#### विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5- मेहरूसिंह मरावी प.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-17.09.2002 को कदलाबीट भैंसानघाट में बीट गार्ड के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को दिन में 11-12 बजे उसे मुखबिर से सूचना मिली कि चेतनसिंह, अमरसिंह, चैतराम व दशरथ ने सुअर का शिकार पार्क लाईन के किनारे महुआ के लाहन में जहर डालकर किया था। उक्त सूचना पर वह रेंज ऑफीसर आर.के. हरदा, वन रक्षक रामसिंह वल्के, धीरजसिंह के साथ चेतनसिंह के घर पहुंचा था। चेतनसिंह से पूछताछ करने पर उसने बताया कि दिनांक-15.09.2002 को चैतराम उसके पास आया था और कहा कि मेरे पास जहर है, शिकार करना है, तब उन्होंने पार्क लाईन में जहर डाला था। दिनांक-16.09.2002 को चेतन, अमरसिंह, दशरथ, चैतराम उस स्थान पर गए थे, तब वहां जंगली सुअर मरा पड़ा हुआ था, जिसे काटकर चार भाग किये थे और मांस खाया था। चेतन ने अपनी बाड़ी के मचान में करीब डेढ़ किलो मांस छुपाकर सुखाने के लिए रखा था, जिसे जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके बाद पी.ओ.आर. क्रमांक-26/05, दिनांक-17.09.2002 जारी किया गया था, जो प्रदर्श

पी-2 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जंगली सुअर के मांस को पंचो के समक्ष नष्ट किया गया, जिसका पंचनामा उसके समक्ष तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी-3 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने प्रदर्श पी-4 का बयान दिया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जप्त मांस का उसके द्वारा परीक्षण नहीं किया गया। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जप्त मांस को वह अंदाज से सुअर का मांस होना बता रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपीगण से उसने जहर बरामद नहीं किया गया था। बचाव पक्ष द्वारा पूछे जाने पर साक्षी ने कहा है कि उसने पी. ओ.आर. मौके पर ही काटा था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने कार्यालय में बैठकर प्रकरण की समस्त कार्यवाही की थी।

7— आर.के. हरदाहा अ.सा.2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-17.09.2002 को भैंसानघाट परिक्षेत्र में परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसे मुखबिर से सूचना मिली कि चेतनसिंह द्वारा हीरापुर व कदलबंदरा की सीमा पर एक जंगली सुअर का जहर डालकर शिकार किया गया है, जिसे चैतराम, दशरथ, अमर ने आपस में बांट लिया है। उक्त सूचना मिलने पर वह कतलाबंदरा की सीमा पर गया जहां चेतन से पूछताछ करने पर उसके द्वारा जंगली सुअर का शिकार करना स्वीकार किया गया और अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए थे। दशरथ, अमर, चैतराम ने आपस में मांस बांट लिया था। उसने प्रकरण की डायरी भैरोंसिंह को दे दिया था, जिसके द्वारा जप्ती की कार्यवाही की गई थी। आरोपी चेतनसिंह के कथन के समय, गिरफ्तारी व जप्त सामग्री को नष्ट करने के पंचनामा के समय भैरोंसिंह धुर्वे उपस्थित था। इन कार्यवाहियों के बाद भैरोंसिंह की मृत्यु हो गई थी। भैरोंसिंह के हस्ताक्षर वह उनके साथ कार्य करने के कारण पहचानता है। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1, पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-2, आरोपी चेतनसिंह के कथन प्रदर्श पी-5, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 तथा संपत्ति नष्ट करने का पंचनामा प्रदर्श पी-3 में भैरोंसिंह धुर्वे के हस्ताक्षर हैं। उसने जप्तीपत्र प्रदर्श पी-1 को सत्यापित किया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी चेतनसिंह का कथन प्रदर्श पी-5, अमरसिंह का कथन प्रदर्श पी-7, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 व प्रदर्श पी-8 पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्ती नष्ट पंचनामा प्रदर्श पी-3 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षी बंशीलाल, समलसिंह, मेहरूसिंह, धीरज व रामसिंह के कथनों पर हस्ताक्षर किये थे। उसने आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना सरपंच व पुलिस थाने को प्रदर्श पी-9 की तहरीर लिखकर उसके अ से अ भाग पर हस्ताक्षर किये थे। दिनांक-19.09.2002 को पत्र क्रमांक-971 लिखकर पशु चिकित्सक कान्हा टायगर मंडला को जप्तशुदा मांस को परीक्षण हेतु भेजा था। रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसने रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न की थी, जो प्रदर्श पी-11 है। उसके द्वारा दिनांक-17.09.2002 को जप्त वन्य प्राणी सुअर का मांस सड़ने व

इल्ली लगने से न्यायालय में प्रदर्श पी-12 की तहरीर लिखकर नष्ट करने की अनुमति चाही थी, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उपरोक्त आधार पर आरोपी चेतनसिंह, अमर, चैतराम व दशरथ के विरुद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-9, 17, 29, 39 एवं सहपठित धारा-51 का अपराध प्रथमदृष्टया पाए जाने से प्रदर्श पी-13 का परिवाद न्यायालय समक्ष पेश किया, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपी चेतनसिंह व दशरथ से सूअर का मांस जप्त नहीं किया गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी अमरसिंह से कोई जप्ती नहीं हुई थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि उसने समस्त कार्यवाही कार्यालय में बैठकर की थी।

8— रामसिंह प.सा.3 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। दिनांक-17.09.2002 को बलदा परिक्षेत्र में भैंसानघाट परिक्षेत्र में पदस्थ था। आरोपी चेतनसिंह के घर में छापा मारने पर उसके घर में मंडा में मटन मिला था, जो प्लास्टिक की थैली में रखा था। उक्त मांस जंगली सुअर का था, जो करीब डेढ़ किलो था। आरोपी चेतन से पूछताछ करने पर उसने बताया था कि महुआ के लाहन में पार्क लाईन में जहर डाला था, जहां सुबह जाकर देखने पर वहां सुअर मरा था, जिसे उन्होंने बांट लिया था और बचे हुए मांस को चेतन की बाड़ी के मंडा में रख दिया था। उसके सामने प्रदर्श पी-14 का पंचनामा बनाया गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी चेतन की बाड़ी से डेढ़ किलो मांस मचान से जप्त कर पंचनामा बनाया गया था। उसने परिक्षेत्र अधिकारी को बयान दिया था, जो प्रदर्श पी-15 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने आरोपी चेतनसिंह व दशरथ के विरुद्ध पी.ओ.आर. जारी नहीं किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी चेतनसिंह व दशरथ से मांस जप्त किया गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी अमरसिंह फरार हो गया था।

9— धीरजलाल प.सा.4 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। आरोपीगण ने क्या किया, इसकी उसे जानकारी नहीं है। आरोपीगण ने वन्य प्राणी का शिकार किया था या नहीं इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने पंचनामा नहीं बनाया गया था। पंचनामा प्रदर्श पी-14 के बी से बी भाग पर उसने वन अधिकारियों के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। वह बाजार जा रहा था, तब उसने हस्ताक्षर किये थे। उसके सामने मांस की जप्ती नहीं हुई थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 में उसने रेंज ऑफिस में हस्ताक्षर किया था। उसने मौके पर आरोपी को नहीं देखा था और न ही मांस देखा था। उसके सामने पी.ओ.आर. काटा गया था या नहीं इसकी भी उसकी जानकारी नहीं है। साक्षी ने स्पष्ट इंकार किया है कि वह वन विभाग के अधिकारी के कहने पर आरोपी चेतनसिंह के साथ ग्राम हीरापुर गया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि



आरोपी चेतनसिंह ने बताया था कि उसके पास जहर है और उसे महुए में मिलाकर पार्क की सीमा पर फैलाया था और अगले दिन जंगली सुअर वहां मरा पड़ा था, जिसे चारों आरोपीगण ने आपस में बांट लिया था। साक्षी ने अपने बयान प्रदर्श पी-16 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

10— साक्षी कमलसिंह प.सा.5 का कहना है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। आरोपीगण ने क्या किया इसकी उसे जानकारी नहीं है। पंचनामा प्रदर्श पी-14 के स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जो उसने परिक्षेत्र अधिकारी के कहने पर किये थे। उसके सामने सूअर का मांस जप्त नहीं हुआ था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 के इ से इ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-2 नहीं काटा गया था और न ही आरोपी चेतनसिंह से प्रदर्श पी-5 का बयान उसके सामने लेख कराया था। साक्षी ने अपने बयान प्रदर्श पी-17 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

11— अभियोजन साक्षी बाबूलाल प.सा.6 ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं। वन विभाग वालों ने उसे बयान नहीं लिये थे। उसके सामने प्रदर्श पी-14 का पंचनामा तैयार नहीं किया गया था, परंतु उसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जो उसने वन विभाग के कर्मचारियों के कहने पर किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी चेतनसिंह ने लगभग डेढ़ किलो मांस अपने घर के मदान से निकालकर दिया था। साक्षी ने इंकार किया कि आरोपी चेतनसिंह ने वन विभाग के अधिकारियों को बताया था कि मांस सूअर का था।

12— अभियोजन साक्षी आर.आर. झारिया प.सा.7 ने अपने कथन में कहा है कि वह दिनांक-17.09.2002 को भैंसानघाट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। इसी दिनांक को परिक्षेत्र सहायक बी.एस. धुर्वे द्वारा इस प्रकरण में विवेचना की गई थी। वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है, क्योंकि उसने उनके साथ कार्य किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह प्रकरण में विवेचक बी.एस. धुर्वे के हस्ताक्षर को नहीं पहचानता।

13— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध इस आशय का अपराध किये जाने का अभियोग है कि उन्होंने महुआ में जहर मिलाकर कान्हा रिजर्व फॉरेस्ट की सीमा पर डाल दिया था और जिसे खाकर जंगली सुअर की मृत्यु हुई थी। सर्वप्रथम मौके के पंचनामा पर विचार किया जावे तो प्रदर्श पी-14 का पंचनामे में जंगली सुअर का डेढ़ किलो मांस आरोपी चेतनसिंह के रिहायशी मकान से जप्त किया गया था। पंचनामा की कार्यवाही को जहां साक्षी मेहरूसिंह मरावी प.सा.1, आर.के. हरदाहा प.सा.2, रामसिंह प.सा.3 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रमाणित किया है। वहीं शेष साक्षी धीरजलाल प.सा.4, कमलसिंह प.सा.5, बाबूलाल प.सा.6 ने जप्ती की कार्यवाही अपने सामने होने से स्पष्ट इंकार किया है।

परिवादी साक्षी मेहरूसिंह मरावी प.सा.1 तथा आर.के. हरदाहा प.सा.2 ने कहा है कि मांस की जप्ती आरोपी चेतन से हुई थी, शेष आरोपीगण से मांस की जप्ती नहीं हुई थी। शेष आरोपीगण द्वारा जंगली सुअर का मांस बांटकर खाया गया था। इस आधार पर उन्हें प्रकरण में आरोपी बनाया गया था। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि साक्षी मेहरूसिंह मरावी प.सा.1, आर.के. हरदाहा प.सा.2 द्वारा रामसिंह प.सा.3 वन विभाग में कार्यरत् कर्मचारी हैं, इसलिए उनके हितबद्ध साक्षी होने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता। धीरजलाल प.सा.4, कमलसिंह प.सा.5, बाबूलाल प.सा.6 जो प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी हैं उन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। स्वतंत्र साक्षियों द्वारा पी.ओ.आर. कार्यवाही जो प्रदर्श पी-2 अनुसार हुई थी, जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी-1, गिरफ्तारी की कार्यवाही प्रदर्श पी-6, 7, 8, 9 अनुसार की गई थी, उसे भी प्रमाणित नहीं किया गया है।

14— प्रकरण में साक्षी आर.के. हरदाहा प.सा.2 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहा है कि मांस की परीक्षण रिपोर्ट देने बाबद् उसने पशु चिकित्सक कान्हा टाईगर रिजर्व को पत्र प्रेषित किया था, यह पत्र प्रदर्श पी-10 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। पशु चिकित्सक द्वारा मांस का परीक्षण कर रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत की गई थी, यह रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है, परंतु मांस परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 के संबंध में पशु चिकित्सक साक्षी का न्यायालय के समक्ष परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही उसका साक्ष्य सूची में नाम है, जिससे की परीक्षण रिपोर्ट प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। यदि यह तर्क के लिए मान भी लिया जावे कि आरोपी चेतन के आधिपत्य से मांस जप्त किया गया था, पर जब तक वह मांस जंगली सुअर का मांस होना प्रमाणित नहीं हो जाता तब तक आरोपीगण द्वारा मिलकर वन्य प्राणी सूअर का अवैध शिकार किया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता, क्योंकि बचाव में आरोपीगण के द्वारा यह बचाव लिया गया है कि जो मांस जप्त किया गया था, वह देशी सूअर का मांस था। उपरोक्त स्थिति में यह घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रही है। अतः आरोपीगण को धारा-9, 17, 29, 31/51 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1991 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

15— प्रकरण में आरोपी चेतनसिंह दिनांक-19.09.2002 से दिनांक-24.09.2002 तक, दिनांक-14.11.2005 से दिनांक-26.11.2005 तक, आरोपी अमरसिंह दिनांक-17.10.2002 से दिनांक-26.10.2002 तक, दिनांक-14.11.2005 से दिनांक-26.11.2005 तक, आरोपी चैतराम व दशरथ दिनांक-14.11.2005 से दिनांक-26.11.2005 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जाये।

16— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

17— प्रकरण में जप्तशुदा सूअर का मांस पूर्व में ही न्यायालय के आदेश से नष्ट किया जा चुका है, इसलिए प्रकरण में जप्तशुदा सूअर के मांस के विषय में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित  
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया  
गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)